

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लखनऊ दिनांक: 03-08-2019

संख्या- प्राशिव/परिषद/सम्बद्धता/2019/8323

कार्यालय शाय-

मा0 उच्चतम न्यायालय में दायित्व संख्या M.A. NO. 1070/2019 IN C.A. NO. 9048/2012 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-7-2019 के अनुपालन में प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 02-08-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई।
मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत नई संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्द-2 में समिति के समुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नोक्त निर्णय लिया गया :-

मा0 उच्चतम न्यायालय में दायित्व संख्या M.A. NO. 1070/2019 IN C.A. NO. 9048/2012 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-7-2019 के अनुपालन में संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि संस्था द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0, पी0सी0आई0 एवं परिषद से संबंधित समस्त मानकों को सत्र 2020-21 के प्रारंभ होने से पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करें एवं इस संबंध में संस्थाओं से शपथपत्र प्राप्त कर लिया जाए कि परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान यदि ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकों/समकर्मों एवं साफ-सज्जा में यदि कोई कमी पायी जाती है तो परिषद द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी, जिससे संस्था को कोई क्षति नहीं होगी।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	कार्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4274	बोहरा नरेश मिह. एजु0 इंस्टी0, भिलावटी खुकधला, अचनेरा किरावली, आगरा	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शीश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

Scanned by CamScanner

R.S. Varma
बोहरा नरेश मिह. एजु0 इंस्टी0, भिलावटी खुकधला, अचनेरा किरावली, आगरा
मा0 उच्चतम न्यायालय में दायित्व संख्या M.A. NO. 1070/2019 IN C.A. NO. 9048/2012

Scanned by TapScanner

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी-स्तरिय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ को प्रस्तावना में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता एवम् अतिरिक्त अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। उपर्युक्त अंशुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्देन ही डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा मसुदा विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -

निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के समुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अंशुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को साझा सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अंशुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विस्तारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उपर्युक्त अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई०/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	127A	बीकर नरथ सिंह एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पीसावटी, कुमाला, अजमेर, किरावली, अजमेर।	डिप्लोमा इन फार्मसी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमोंवाली 1982, शैक्षणिक विनियमोंवाली-2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं शर्तों को अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क वीस वार्षिक इन्फी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एवं अन्य दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर

(Signature)

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ
लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

कार्यक्रम द्वारा निर्धारित किये जाने वाले कार्यान्वयन प्रयासों हेतु, और अनुसूचित जातों/प्रायः प्रायः
 आवश्यक होगा। और निर्धारित आवधिक ब्राह्मण सहि राय 2020-21 हेतु प्रतिन या मुनिकारण विना प्राय
 है तो प्रोड की नवीकरण करे जाएगी।
 * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय
 विनियमों-2020 की तरफ का अनुपालन करना होगा।
 * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय। और जो विना
 कि कार्य की शक्ति में करण प्रयोग प्रदान के विनियमों-2020 की प्रयोग की कार्यवाही की जायेगी।
 * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय। और जो विना
 जाय।

- * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय। और जो विना
- * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय। और जो विना
- * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय। और जो विना
- * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय। और जो विना
- * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय। और जो विना
- * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय। और जो विना
- * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय। और जो विना
- * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय। और जो विना
- * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय। और जो विना
- * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय। और जो विना
- * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय। और जो विना
- * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय। और जो विना
- * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय। और जो विना
- * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय। और जो विना
- * तथा जो विद्यार्थी प्रमाणित शिक्षा प्रणालियों तथा उच्च तकनीकी संस्थानों को सम्बन्ध विना जाय। और जो विना

(डा० आरकेश सिंह)
 सचिव

क्रमांक-संस्कृत/वीकए/संस्कृत/2020/ 1072-3141 तद दिनांक 15-09-2020
 विनियम-2020/निर्देशक, बोला तथा विनियम प्रमाणिक इस्टीमेट, भीलावटी, कुधाला, अचमरा,
 बिनावटी, बिनावटी।



डा० आरकेश सिंह
 सचिव

